

(84) 83



C.F.Rs. 40/-

R - 319 - II/13

रावेन्द्र तिवारी तनय स्व. श्री इन्द्रभान तिवारी उम्र 50 वर्ष पेशा वकालत निवासी
नोहल्ला नरेन्द्रनगर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के पास अमहिया रीवा थाना सिविल

अधिकारी रामनेट्लाइन रीवा तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) निगरानीकर्ता / आवेदक

मिश्र डापा उल्लूता

रीवा, दि. 17/12/12

बनाम

१-श्री रामप्रसाद वर्मा तनय स्व. श्री सूर्यदीन वर्मा निवासी नरेन्द्रनगर रीवा तह. हुजूर

जिला रीवा म.प्र.।

२-श्रीमती रामसखी तिवारी बेवा पत्नी स्व. रामकिशोर तिवारी निवासी नरेन्द्रनगर

अमहिया रीवा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.।

३-अमेश कुमार तनय स्व. रामकिशोर निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र.।

४-सुरेश कुमार तनय स्व. रामकिशोर निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र.।

५-बृजेश कुमार तनय स्व. रामकिशारे निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र.।

६-कमलेश कुमार तनय स्व. रामकिशोर निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र.।

७-श्रीमती आशा सिंह पत्नी श्री अरुण प्रताप सिंह निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा
तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.।

८-शासन म.प्र.।

..... गैरनिगराकार / अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान्
अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र. प्रकरण क. 22/अ
6/2001-02 निर्णय दिनांक 07.09.2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

1959 ई।

कालेज / २०१८-१९

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबति आदेश प्रष्ठा

प्रकरण क्रमांक R ३१९/१०१८ स्ट्रेट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकाशित अधिकारिता के दस्तावेज़
०६/१२/१९	<p>इस प्रकरण में दिनांक २३/४/१९ को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्फ सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। पर्हे निगरानी अनुचित भाव में कैप्टन एफ. हुड्सन के प्रकरण क्रमांक २२/३८६/०१-०२ में पारित आदेश दिनांक ०७/०९/१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुरार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला स्ट्रेट के न्यायालय के अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २२/३८६/०१-०२ को कलेक्टर जिला के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">स्ट्रेट</p> <p style="text-align: right;">०६/१२/१९।</p> <p style="text-align: right;">रादस्य</p> <p style="text-align: left;"></p>	